

CORRIDOR SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Case No. 600313 of 2016

Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties of
pleaders where
Necessary

25/10/16 आज आरक्षी केन्द्र को उपनिरीक्षक / सहायक
उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक की ओर अपराध
को 1097 द्वारा शाना 34-अरक्षक से दण्डनीय
भादंडासं०/ 154/16 अतर्गत धारा 34-अरक्षक अधीन
अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।
राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री प्रविण सिंह खिल्ला उप0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण... जीधाम खान 2/8 हवीव खान
इस 2016 में निवासी / निवासगण... मोरिमन होलास दसकुठ ॥
थाना... मोरिमन जिला... मोरिमन से अधिवक्ता
उपरिथत। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर प्रस्तुत
श्री... द्वारा गेगोरेण्डग / तकालतनागा प्रस्तुत
किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भादंडासं० / 34-अरक्षक अधिनियम के अधीन कायंवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190---(1) दंडासं० के अधीन नमान स्थिर आन का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण दंडासं० के धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र पढ़ पढ़ने के लिए पढ़ने योग्य तब निशुल्क दिलाये जावे।

वृत्ति आपराध जमानत पत्र... न्याय / अभियुक्तगण को और से 7000 / - (सप्त हजार) न इतनी ही शोध न न्यायगत न्याय पर न्याय न न्याय न न्याय

चूंकि गामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारंभ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध

धारा 34-अनुच्छेद 204 भा0 द0 सं0 / अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संगव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से दत्तित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुदांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगतोया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 5000 रूपये राजसात विनये जाये। रांपत्ति 500 रूपये मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अचधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Blind (M.P)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 5000 रूपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 5624 रसीद क0 65 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Blind (M.P)

पंजीसात